



Neutral Citation No. -2026:AHC:125653

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19426/2026

मुन्नू उर्फ पुष्पेन्द्र

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: अरविन्द सिंह परमार, वीरेन्द्र सिंह परमार

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री अमृत राज चौरसिया को सुना गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया है कि माननीय न्यायालय, मुकदमा अपराध संख्या 02/2024, अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 504, 506, 307 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम तथा धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना-जलालपुर, जनपद- हमीरपुर, में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की कृपा करे।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई थी कि, घटना की रात्रि में, आग्नेयास्त्र से फायरिंग की गई, जिससे सूचक के पुत्र को चोटें आईं। आगे यह भी तर्क दिया गया कि, बाद में, कुछ कथित प्रत्यक्षदर्शियों ने अभियुक्त के भाई तथा एक रिकू डूंगर को फायरिंग की घटना में संलिप्त बताया।
4. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि न तो सूचक और न ही घायल गवाह ने विवेचना के किसी भी चरण में वास्तविक हमलावरों की पहचान की। उन्होंने आगे कहा कि सह-अभियुक्त रिकू उर्फ डूंगर, जिसकी पहचान कथित रूप से एक गवाह द्वारा की गई थी, को इस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 39078/2024 में दिनांक 24.03.2026 के आदेश द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि, वर्तमान आवेदक के अतिरिक्त, पाँच अन्य अभियुक्त भी इस वाद में नामजद हैं। जिनमें से, तीन सह-अभियुक्तगण, अर्थात् ओम प्रकाश पटेल, आलोक कुमार पटेल तथा इन्द्रभान पटेल उर्फ गुड्डू को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. यह तर्क दिया गया कि वर्तमान आवेदक की भूमिका उपर्युक्त सह-अभियुक्तों के समान है, जिन्हें पूर्व में जमानत प्रदान की जा चुकी है, तथा उसके विरुद्ध कोई पृथक अथवा विशिष्ट भूमिका आरोपित नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया गया कि सह-अभियुक्त इन्द्रभान पटेल उर्फ गुड्डू को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 42096/2025 (इन्द्रभान पटेल उर्फ गुड्डू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में दिनांक 28.11.2025 के आदेश द्वारा जमानत प्रदान की गई थी। अतः, यह कहा गया कि आवेदक का मामला उन सह-अभियुक्तों के समान आधार पर स्थित है जिन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए, समानता के आधार पर वह भी जमानत का अधिकारी है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अवगत कराया गया कि आवेदक दिनांक 01.02.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। साथ ही आश्वासन दिया गया कि, जमानत पर रिहा होने की दशा में, आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, न्यायिक प्रक्रिया से नहीं बचेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

6. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा इस तथ्य पर विचार करने के उपरांत कि सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा पूर्व में जमानत प्रदान की जा चुकी है, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि आवेदक समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त वाद में संलिप्त आवेदक- **मुन्नू उर्फ पुष्पेन्द्र**, को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निजी बन्धपत्र तथा दो समान धनराशि के जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक विवेचना अथवा विचारण के दौरान किसी भी गवाह को भयभीत अथवा दबावग्रस्त कर अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक बिना किसी अनावश्यक स्थगन की मांग किए विचारण में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

9. यदि उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो सम्बन्धित न्यायालय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विधि के अनुसार उपयुक्त बाध्यकारी उपाय अपनाने तथा प्रदत्त जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। जमानत बन्धपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा जमानतदारों की पहचान, हैसियत एवं निवास संबंधी प्रमाणों का विधिवत सत्यापन किया जाएगा।

(अनिल कुमार-X, न्यायमूर्ति)

03 जून, 2026